

सिविल विविध वाद सं०-607/2024
श्रीमती सुकरमा बनाम एन०एच०आई० आदि

दिनांक-13.08.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पत्रावली पर उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य विदित होता है कि विगत कई तिथियों से पत्रावली पर न तो उभय पक्ष उपस्थित आ रहे हैं और न ही उनके अधिवक्ता द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही वादी द्वारा पैरवी की जा रही है। आज भी पत्रावली पर कई बार पुकार करायी गयी किन्तु न ही उभय पक्ष और न ही उनके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष को उक्त वाद में कोई रुचि नहीं है तथा उक्त सिविल विविध वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उक्त प्रस्तुत सिविल विविध वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण उक्त सिविल विविध वाद सं० 607/2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(अभय प्रताप सिंह-द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०-01, मेरठ।
जे०ओ०कोड-यू०पी० 1815

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.